संख्या:-45/2022/1647 ई-2/तेरह-2022-229956

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 23 सितम्बर ,2022

विषयः-मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., मुजफ्फरनगर में सी-हैवी शीरे एवं ग्रेन पर आधारित 220 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 770 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्थापित किये गये 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के पृथक ग्रेन प्लान्ट से ई.एन.ए. के साथ-साथ अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-212/दो-प्रा.डी.-111, दिनांक 02-09-2022 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 21-09-2022 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-1633ई-2/तेरह-2022-229956, दिनांक 22-09-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02-09-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., मुजफ्फरनगर को आसवनी की सी-हैवी शीरे पर आधारित क्षमता 160 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर सी-हैवी शीरे एवं ग्रेन पर आधारित 220 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 770 लाख लीटर वार्षिक किये जाने हेतु स्थापित किये गये 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के पृथक ग्रेन प्लान्ट से 50-50 प्रतिशत अर्थात 30 कि.ली. प्रतिदिन ई.एन.ए. का निर्माण तथा 30 कि.ली. प्रतिदिन अब्सोल्यूट अल्कोहल का निर्माण किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत आसवनी ग्रेन से ई.एन.ए. के साथ-साथ अब्सोल्यूट अल्कोहल निर्माण किये जाने हेतु नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्लान्ट चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 22-06-2022 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(4) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।